अति आवश्यक

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल :- dme12001@yahoo.com
वेबसाईट :- www.medicaleducation.mp.gov.in
दूरभाष नम्बर :- 0755-2550186 स्पीड-पोस्ट
फैक्स :- 0755-2578844

क्रमांक 579 /स्था./अराज/2021, भोपाल, दिनांक 15 /06/2021

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा/सागर,
विदिशा/रतलाम/शहडोल/खण्डवा/दतिया/शिवपुरी/छिन्दवाड़ा।

विषय :- चिकित्सा महाविद्यालयों के अंतर्गत वित्त अधिकारी (उप संचालक), उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर के सृजित पदों की संशोधित अनुसूचियाँ जारी करने के सम्बन्ध में।

--00--

विषयान्तर्गत समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये वित्त अधिकारी (उप संचालक), उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर के सृजित पदों के लिये **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018"** के प्रावधान अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुसूचियाँ जारी की गई हैं, आवश्यकतानुसार उप रजिस्ट्रार पद की शैक्षणिक अर्हता तथा अनुसूची-एक, दो एवं तीन में अंकित टीप में परिवर्तन किया जाकर अनुसूची-पांच स्थापित की गई है। साथ ही प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर पदों के पदीय दायित्वों का विवरण संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार पदों हेतु जारी पूर्व की अनुसूचियों को अतिक्रमित करते हुये संशोधित अनुसूची-एक, दो, तीन, चार एवं पांच हस्ताक्षरित कर आपकी ओर 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित हैं। कृपया एकप्रति, अधिष्ठाता तथा संभागायुक्त से हस्ताक्षरित कर मूलप्रति संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे अनुसूचियों को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किया जा सके।

(आयुक्त चि.शि. द्वारा अनुमोदित)
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 580-81 /स्था./अराज/2021, भोपाल, दिनांक 15 /06/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, स्थानीय कार्यालय।
2. संभागीय आयुक्त, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, शहडोल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

835

क्रमांक स्था/स्व/2021 इन्दौर, दिनांक 6/7/2021

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
म.प्र. भोपाल।

विषयः— चिकित्सा महाविद्यालयों के अंतर्गत वित्त अधिकारी (उप संचालक), उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर के सृजित पदों की संशोधित अनुसूचियॉ जारी करने के संबंध में।

संदर्भः— संचालनालय का पत्र क्रमांक 579/स्था/अराज/2021 दिनांक 15.06.2021

———000———

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के लिये वित्त अधिकारी (उप संचालक), उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर के सृजित पदों की संशोधित अनुसूची –एक, दो, तीन, चार एवं पॉच प्राप्त हुई है, **जो संभागायुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर अनुसूची की एक मूल प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।**

संलग्न :— अनुसूची –एक, दो, तीन, चार एवं पॉच
की एक मूल प्रति

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शास.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

पृ. क्रमांक स्था/स्व/2021 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निज सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.भोपाल।
2. संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शास.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक 11340
दिनांक 08/7/21
शाखा का नाम
रिमार्क
कार्या.अधी. डी.एम.ई./सी.एम.ई.

संशोधित अनुसूची

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
अनुसूची – एक
(नियम 4.1 देखिए)
(गैर शैक्षणिक संवर्ग)

अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पद

अनु.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	एकमुश्त मासिक वेतन
1	2	3	4
1.	वित्त अधिकारी (उप संचालक)	01	शासकीय नियमानुसार वेतन देय होगा।
2.	उप रजिस्ट्रार	01	60,000/–
3.	अस्पताल प्रबंधक	01	60,000/–
4.	अस्पताल सहायक प्रबंधक	02	40,000/–
5.	बायोमेडिकल इंजीनियर	01	60,000/–

टीप :–

1. अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।
2. **एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन पर वार्षिक वृद्धि देय होगी।**
3. मंत्रि–परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 14 दिनांक 13 जून 2017 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्व से स्वीकृत प्रशासकीय अधिकारी के पद मृत संवर्ग घोषित किये गये है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं अधिष्ठता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
सम्बद् चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

निशांत वरवडे
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गां. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

संशोधित अनुसूची

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
अनुसूची – दो
(नियम 5.1 देखिए)
(गैर शैक्षणिक संवर्ग)

अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पद

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1.	वित्त अधिकारी (उप संचालक)	01	मेडिकल कॉलेज में उप संचालक स्तर के मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर	
2.	उप रजिस्ट्रार	01	01	–
3.	अस्पताल प्रबंधक	01	01	–
4.	अस्पताल सहायक प्रबंधक	02	02	–
5.	बायोमेडिकल इंजीनियर	01	01	–

टीप :– सरल क्रमांक 2 से 5 में अंकित पदों पर नियुक्ति मेडिकल कॉलेज की स्वशासी संस्था द्वारा **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018"** के अंतर्गत अथवा आउटसोर्सिंग से की जायेगी, किन्तु आउटसोर्स से नियुक्ति किये जाने पर **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018"** का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था) इन्दौर (म. प्र.)

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

निशात वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

संशोधित अनुसूची

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
अनुसूची – तीन
(नियम 5.2 देखिए)
(गैर शैक्षणिक संवर्ग)

अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पद

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1.	2	उप रजिस्ट्रार	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management/ M.B.A. H.R. 2. शासकीय/स्वशासी महाविद्यालय अथवा स्वशासी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक/प्रबंधकीय कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।	62 वर्ष
2.	3	अस्पताल प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 03 वर्ष का अनुभव।	62 वर्ष
3.	4	अस्पताल सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	1. Master of Hospital Administration/ Master of Hospital Management. 2. अस्पताल प्रबंधन के कार्यो में 01 वर्ष का अनुभव।	62 वर्ष
4.	5	बायोमेडिकल इंजीनियर	21 वर्ष	1. B.E. (in Bio medical Engineer) 2. 300 बिस्तरीय अस्पताल में 01 वर्ष का अनुभव।	62 वर्ष

टीपः–

1. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

निशात बरवडे
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

संशोधित अनुसूची

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
अनुसूची – चार
(नियम 7.2 देखिए)
(गैर शैक्षणिक संवर्ग)

अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पद

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर)	निरंक			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं अधिष्ठता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

अधीक्षक
कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश: भोपाल

निशान्त वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

संशोधित अनुसूची

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
अनुसूची–पांच
(नियम 11.1 देखिए)
गैर शैक्षणिक संवर्ग

अस्पताल प्रबंधन हेतु स्वीकृत नवीन पद

स.क्र.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक में उल्लेखित संवर्गो के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश। उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में। किसी व्यक्ति के अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रह सकेगा। 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा। माह के मध्य में नियुक्ति होने पर अर्जित अवकाश की गणना $2^{1/2}$ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जायेगी।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।
4	प्रसूति अवकाश	महिला गैर शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति की अवकाश की पात्रता होगी।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष गैर शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित बच्चे होने पर 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। प्रसव के 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद से 6 महीने की अवधि मे न लेने पर व्यपगत **(Lapse)** हो जावेगा।
6	अध्ययन अवकाश	**संवर्ग की पात्रता अनुसार** सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा महंगाई भत्ता (अन्य भत्ते नहीं) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरान्त 03 वर्ष से अधिक का समय सेवानिवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा।
7	संतान पालन अवकाश	महिला गैर शैक्षणिक सवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो जयेष्ठ जीवित संतानो की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा। जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है। परन्तु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16–18/97–एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा।

टीप :–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रदद् करने का निर्णय ले सकेगा।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

निशात वरवड़े
आई.ए.एस. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

कार्यालय अधीक्षक
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एम.वाय. चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर